ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अ०शा० पत्र सं० 1-15/2009 (एआरसी) भाग. III 25 मई, 2023/04 ज्येष्ठ, 1945

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विनियम, 2009" अधिसूचित किया है। सभी विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। ये विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंगरोधी परिसर सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों की आवश्यकता होती है, यहां कुछ सिफारिशें और कार्रवाई के लिए कुछ क्रिया-कलाप अनुसंशित किये गए है जिन्हें आपके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और आपके क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है।

—) बुनियादी उपाय:

1. रैगिंगरोधी समिति का गठन, रैगिंगरोधी दस्ते का गठन, रैगिंगरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं ।
3. अपने संस्थानों के मुद्रण (हार्ड कॉपी) के स्थान पर प्रवेशित विद्यार्थियों को रैगिंग के मामले में मार्गदर्शन पर विवरण देने वाली ई-प्रवेश पुस्तिका या ई-पत्रक (ब्रोशर) बनाने की व्यवस्था करना।
4. रैगिंगरोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और द्वितीय संशोधन के अनुपालन में तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा संकल्प- पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में रैगिंग की परिभाषा का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है:

'3 (त्र) किसी भी छात्र को (नवीन या अन्य) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभयलैंगिक सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाहय स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।'

7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337 | Fax : 011-2323 8858 | E-mail : secy.ugc@nic.in

ख) परामर्श और निगरानी के उपाय:

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और उपद्रव करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीनों, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंडों और किसी भी अन्य उपाय का औचक निरीक्षण, जो रैगिंग और किसी भी अवांछित व्यवहार/घटना को रोकने/निवारण करने में सहायक होगा।

ग) रैगिंगरोधी परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:

1. इस विचार को प्रसारित करने के लिए रैगिंगरोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अन्य रचनात्मक मार्गों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और सुरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से तैनात किया जा सकता है।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य उपायों के उपयोग की शुरुआत:

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशान विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंगरोधी हेल्पलाइन न० 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंगरोधी हेल्पलाइन help@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. रैगिंग के बारे मे किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in देखें।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न तरीकों से रैगिंगरोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं विकसित की हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में 30-30 सेकंड के 05 टीवीसी को अलग-अलग दृष्टिकोण से विकसित किया है।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्य प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों/नियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच पोस्टर डिजाइन और वितरित किए हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)।

ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के खतरे के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए विद्यार्थियों/संकाय/आम जनता के लिए लगातार 02 रैगिंगरोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

आपसे अनुरोध है कि इन चरणों का अनुसरण करें और "भारत के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के मनोसामाजिक अध्ययन" पर समिति की सिफारिशों को लागू करें जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंगरोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। विद्यार्थी को अपनी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ई-मेल में नोडल अधिकारी को

अग्रेषित करेंगे । **(कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ हलफनामा प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है,**

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों, विभाग, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधाओं आदि पर अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंगरोधी समिति के नोडल अधिकारी के ई-मेल पते और संपर्क संख्या को प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के प्रवेश फॉर्म में अनिवार्य कॉलम समाविष्ट करें:

रैगिंगरोधी संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे www.antiragging.in पर ऑनलाइन अनुपालना भरें तथा अपने दायरे में आने वाले सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए तत्काल निर्देश दें।

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य
संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. सभी नियामक प्राधिकरण (संलग्न सूची के अनुसार)
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)
3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, (jasleen.kaur@nic.in) ।
4. उप सचिव (वेबसाइट) , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ((i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट, (ii) रैगिंग संबंधी परिपत्र और (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ट्विटर हैंडल पर अपलोड करने के लिए)

(मनिष जोशी)